

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल रकच.जं.तर/दपबणपद)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-36/94)/अलेसे-11/ 1244

दिनांक :- 06.03.2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम संख्या 06 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(ब)(iii) के अन्तर्गत नियमित करते हुए एवं कॉलम संख्या 05 में अंकित चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(1) वित्त (नियम)/2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि			विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है	अवधि/माह जिसका वेतन भुगतान किया जाना है
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3052	श्री नरेन्द्र सिंह, सलेअ-11	दि 14.11.19 से 28.11.19 तक	दि. 14.11.2019 से 27.11.2019 तक नगराय चुनाव के कारण	दि. 28.11.19 (01 दिवस)	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 पद के विरुद्ध	माह अक्टूबर 2019 एवं नवम्बर 2019

नोट:- अधिशाषी अभियंता, आर.यू.आई.डी.पी., भरतपुर में पद समाप्त हो जाने से दिनांक 01.10.2019 से 13.11.2019 तक मुख्यालय आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर में कार्य करने के कारण उक्त अवधि के वेतन आहरण की स्वीकृति भी प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर से दी जाती है।

(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-36/94)/अलेसे-11/ 1244

दिनांक :- 06.03.2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर।
2. श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, कार्यालय प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड/ पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
4. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)